रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004/1 पौष, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171009, 14 दिसम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 7/99-16983.—यह कि विभाग में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायत पत्रों जिनमें निवासीगण, ग्राम पंचायत, तुंगाधार के अभ्यावेदन भी हैं, में आपके विरुद्ध बहेसियत प्रधान, ग्राम पंचायत तुंगाधार (2000–2005) अनियमितताओं के अनेक मामले समक्ष आये हैं ;

अतः यह कि उक्त अनियमितताओं में संलिप्त पाये जाने के कारण उपायुक्त, मण्डी द्वारा आपको हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत दिनांक 3-9-2002 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ;

अतः यह कि आप द्वारा दिये गये उक्त नोटिस के उत्तर को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप उन द्वारा आपको दिनांक 5-11-2003 को निलम्बित किया गया ;

अतः यह कि उपायुक्त, मण्डी द्वारा आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत आदेश संख्या पी0 सी0 एच0–एम0 एन0 डी0/2001–6713–19, दिनांक

25-11-2003 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), गोहर को नियमित जांच सौंपी गई तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा सरकार द्वारा उसको बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु उप-निदेशक एवं उप-सचिव (पंचायत) को पुनः दिनांक 2-4-2004 को जांच करने के आदेश दिए गए तथा मौका पर कुछ विकास कार्यों का निरीक्षण सहायक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर से करवाने उपरान्त निम्नलिखित आरोप समक्ष आये :—

(1) आपने दिनांक 4-12-1998 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जंजैहली से मु0 25,600 रुपये चैक संख्या–1483765 द्वारा निकाले जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत की बचत खाता पास बुक से होती है। उक्त चैक के अधपन्ना के अवलोकन से यह पाया गया कि अधपन्ना पर मु0 5,000 रुपये लिखे गये हैं तथा पंचायत रोकड़ के पृष्ठ 12 पर भी मु0 5,000 रुपये की निकासी दिखाई गई है। इस प्रकार आपने मु0 20,600 रुपये का छलहरण किया जिससे आपके विरुद्ध धोखाधड़ी का आपराधिक मामला बनता है। उपरोक्त राशि के संदर्भ में आपका यह स्पष्टीकरण कि मु0 20,600 रुपये की राशि के विरुद्ध मु0 27,540 रुपये का व्यय मस्ट्रोल संख्या–482 अवधि 10/98 निर्माण कार्य पर किया गया, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी सराज स्थित जंजैहली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त संख्या का मस्ट्रोल ग्राम पंचायत, तुंगाधार को जारी नहीं किया गया बल्कि मस्ट्रोल संख्या–482 विकास खण्ड द्वारा ग्राम पंचायत, छतरी को जारी किया गया था। अतः उक्त मस्ट्रोल संदेहजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त न तो उक्त राशि से किए गए निर्माण कार्य/कार्यों का विवरण और न ही इसके कोई वाउचर पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध हैं। इस प्रकार आपने धोखाधड़ी से मु0 20,600 रुपये की धनराशि का छलहरण किया।

(2) मास मई, 1997 के मस्ट्रोल, जोकि दिनांक 16-7-1997 को रोकड़ बही के पृष्ठ 77 पर दर्ज है, के अनुसार श्री नेत्र सिंह को दिनांक 3-5-1997 से, मजदूर क्रमांक 15 पर, काम पर दर्शाया गया है जबकि दूसरे मजदूरों, जो क्रम संख्या–16 से 19 पर दर्ज हैं, को दिनांक 1-5-1997 से काम पर दर्शा कर आपके द्वारा मु0 1317.60 की धनराशि का छलहरण पाया गया। इसी प्रकार मास 12/99 के मस्ट्रोल, जिसका वाउचर संख्या-93 है, से पाया गया कि क्रम संख्या-15 पर दर्शाये गये मजदूर को दिनांक 19-12-1999 से, क्रम संख्या–16 पर दर्शाये गये मजदूर को दिनांक 18-12-1999 से तथा क्रम संख्या 18 से 20 पर दर्शाये गये मजदूरों को दिनांक 17-12-1999 से हाजिर दर्शा कर आपने मु0 357 रुपये का छलहरण किया है।

(3) आपने अवधि 4/2001 से 3/2002 के मध्य पंचायत निधि की विभिन्न राशियों को अपने पास आवश्यक रूप से रोके रखा इसलिये आपने न केवल वित्तीय नियमों का उलंघन किया है अपितु स्वेच्छा पूर्वक सरकारी राशि का छलहरण भी किया।

(4) आप द्वारा ग्राम पंचायत तुंगाधार की अवधि 1-1-1997 से 1-10-2001 के बीच प्रधान पद पर रहते हुए बिना प्रस्ताव पारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, पंजाब नैशनल बैंक और सी0 डी0 बैंक, जंजैहली से मु0 8,82,797 रुपये की धनराशि अनाधिकृत रूप से जाली प्रस्ताव लिखकर निकाली गई।

(5) यह कि आपके पति श्री चमन लाल द्वारा मुबलिक 50,000 रुपये की धनराशि चैक संख्या–1483775 दिनांक 28-4-1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, शाखा, जंजैहली से निकाली गई है जबकि निकासी के लिये केवल आपको ही प्राधिकृत किया गया था। सरकारी धनराशि निकासी के लिये अनाधिकृत व्यक्ति से राशि बक से निकासी करवाकर आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 99(4) तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया।

(6) निर्माण राजकीय प्राथमिक पाठशाला बेखली :

राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बेखली का निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया । सचिव, ग्राम पंचायत, तुंगाधार के अनुसार सरकारी धनराशि की कमी के कारण कार्य बन्द किया जाना बताया गया । सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर की रिपोर्ट अनुसार अब तक किय गये निर्माण कार्य का मूल्यांकन मु0 85,000/- रुपये है । जबकि पंचायत रिकार्ड के अनुसार मास 4/2001 तक मु0 95,190.00 व्यय किया गया है । इस प्रकार आपके द्वारा मु0 10,190/- रुपये का दुरुपयोग किया जाना पाया गया ।

(7) निर्माण बावडी दांवन्त :

यह कि दावन्त नामक स्थान में बावडी निर्माण कार्य के लिये मु0 10,000/- रुपये का प्रावधान था तथा यह रकम पंचायत प्रधान को विमुक्त (released) की गई है । पंचायत रिकार्ड के अनुसार उक्त कार्य पर मुबलिग 9711.50 खर्च किया गया है तथा कनिष्ठ अभियंता, विकास खण्ड, जंजैहली द्वारा इस कार्य का मूल्यांकन मु0 10,000 रुपये का किया गया है। इस कार्य का समापन प्रमाण-पत्र भी सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, जंजैहली तथा खण्ड विकास अधिकारी, जंजैहली द्वारा जारी किया गया है । मगर सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर की रिपोर्ट अनुसार इस कार्य पर मुबलिग 1,000/- रुपये व्यय किया गया है । इस प्रकार आपने विकास खण्ड कार्यालय के कनिष्ठ अभियन्ता की मिलीभगत से मुबलिक 8,711,50 का छलहरण किया ।

(8) निर्माण झरान्ठी से मझाखल तथा कन्डी सिंचाई कूहल :

तकनीकी रिपोर्ट अनुसार झरान्ठी से मझाखल तथा कन्डी सिंचाई कूहल निर्माण कार्य नहीं किया गया है जबकि इन दोनों कूहलों के निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सतर्कता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता तथा विकास खण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है । इस उद्देश्य के लिये क्रमश: मु0 50,000/-, मु0 50,000/- रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई थी तथा सारी राशि विमुक्त (released) की गई है । मौके पर इन कूहलों के निर्माण का कोई भी सबूत व सामग्री नहीं पाई गई । पूछताछ करने पर प्रधान ने मौखिक तौर पर बताया कि कच्ची कूहलों का निर्माण किया गया है लेकिन सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई भी कूहल का निर्माण नहीं किया गया था । पंचायत अभिलेख भी इन कार्यों पर व्यय किये गये क्रमश: मु0 44,646.75 तथा मु0 48,495/- रुपये की पुष्टि करता है । मगर मौके पर कार्य न करके आपने उपरोक्त दोनों राशियों का स्पष्ट रूप से छलहरण किया है ।

यह कि जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत दिनांक 8-9-2004 को आपको जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर पन्द्रह दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया ।

आप द्वारा उक्त नोटिस पर दिया गया उत्तर दिनांक 23-9-2004 को कार्यालय में प्राप्त हुआ, जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट, सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर द्वारा दिये गये मौका निरीक्षण रिपोर्ट तथा आप द्वारा दिये गये उत्तर पर विचार करने उपरान्त आपका उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि आप गम्भीर वित्तीय अनियमितताये करने के साथ-साथ रिकार्ड में हेरा-फेरी, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में लापरवाही व अनदेखी करने के परिणाम स्वरूप आप उपरोक्त वर्णित सरकारी धन व पंचायत निधि के छलहरण करने में संक्षिप्त पाई गई जिसके फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाना प्रस्तावित है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्राप्त है का प्रयोग करते हुए श्रीमती जस्सी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत, तुंगाधार (नि0), विकास खण्ड, सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदश को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा 6 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित किया जाता है ।

आदेश

शिमला-171009, 15 दिसम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 190/2003-17020-26.—यह कि ग्राम पंचायत, कटलाह के अवधि 4/2000 से 3/2002 तक किये गये विशेष अंकेक्षण के दौरान श्री गोपाल कौशल, प्रधान, ग्राम पंचायत कटलाह, विकास खण्ड रोहड़ू को मनमाने ढंग से पंचायत के विकास कार्य हेतु प्राप्त धनराशि, पंचायत निधि व जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की क्रमशः मु0 2,37,151/- रु0 तथा 69000/- रु0 कुल मु0 3,06,151/- रु0 की धनराशि बतौर पेशगी लेकर अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने पर दोषी पाया गया था;

अतः यह कि दिनांक 20-1-2003 को उपायुक्त, शिमला द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के अन्तर्गत उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया था;

अतः यह कि, उनका उत्तर तथ्यों पर आधारित न पाये जाने पर उपायुक्त, शिमला द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पी सी एच-एस एम एल(10) 162/87-1963-69, दिनांक 12-5-2003 को उन्हें प्रधान, ग्राम पंचायत, कटलाह के पद से निलम्बित किया गया था ।

यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश, दिनांक 1-11-2003 के अन्तर्गत उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । जांच अधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त पाया गया कि:—

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम अथवा प्रयोजन	प्रधान द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि	कार्य की प्रगति अथवा स्थिति
1	2	3	4
1.	किसान भवन मेलठी हेतु	40,000/- रु0	कार्य नहीं किया गया ।
2.	कार्यालय व्यय हेतु	5,000/- रु0 मार्च, 2001 6,000/- रु0 12-11-2001	राशि का हिसाब पंचायत को नहीं दिया गया ।
3.	मानदेय आंगनवाडी कार्यकर्ता	8151/- रु0 मार्च, 2001	-यथा-
4.	पंचायत घर कटलाह की मुरम्मत हेतु ।	50,000/- रु0 मार्च, 2001	कार्य नहीं किया गया ।

1	2	3	4
5.	निर्माणाधीन महिला मण्डल कुपड़ी	8000/- रु0 14-3-2001	कार्य नहीं किया गया ।
	निर्माणाधीन महिला मण्डल कलगांव	8,000/ रु0 14-3-2001	कार्य नहीं किया गया ।
	प्राथमिक पाठशाला कलगांव	15,000/- रु0 14-3-2001	कार्य नहीं किया गया ।
6.	नि0 म0 म0 मेलठी, कुपड़ी, कलगांव ।	17,640/- रु0 21-3-2001	कार्य नहीं किया गया ।
	मुरम्मत रा0 उ0 पा0 मेलठी	9,360/- रु0 21-3-2001	-यथा-
7.	रा0 व0 मा0 पा0 मेलठी के भवन निर्माण ।	10,000/- अप्रैल, 2001	कार्य नहीं किया गया ।
8.	व0 मा0 पा0 मेलठी भवन 4 कमरों का निर्माण ।	60,000/- रु0 3-5-2001	कार्य नहीं किया गया ।
9.	रास्तों के निर्माण/मुरम्मत हेतु	25,000/- रु0 फरवरी, 2001 15,000/- रु0 मार्च, 2001	कार्य नहीं किया गया ।
10.	मुरम्मत रास्ता कलगांव हेतु	10,000/- रु0 3-4-2001	कार्य नहीं किया गया ।
11.	निर्माण बालु देवता की थाणी (प्रांगण) हेतु ।	19,000/- रु0 दिसम्बर, 2001	कार्य नहीं किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं तथा आपत्तिजनक कार्यकलाप भी जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उजागर किया है । जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

क्रम संख्या	प्रस्ताव का विवरण	बैंक से निकासी की गई राशि	जिस प्रयोजनार्थ निकासी की गई	निकासी की गई राशि का उपयोग
1	2	3	4	5
1.	प्रस्ताव संख्या 2 से 4 दिनांक 23-1-2001.	मु0 40,000/- रु0 मु0 25,000/- रु0	रास्ता निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु ।	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।
2.	प्रस्ताव संख्या 2 व 3 दिनांक 24-2-2001.	मु0 15,000/- रु0 मु0 16,551/- रु0	निर्माण रास्ता हेतु । वेतन चौकीदार 2400 रु0 वर्दी चौकीदार 1000 रु0 वेतन आंगनवड़ी कार्यकर्ता 1/01 से 3/2002 8151 रु0 का0 प्रबन्धन 5000 रु0 16551/- रु0	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।

1	2	3	4	5
3.	प्रस्ताव संख्या 7, 8 तथा 10 दिनांक 6-3-2001.	1. मु0 50,00(/- रु0 2. मु0 31,000/- रु0 3. मु0 27,000/- रु0	1. मुरम्मत पंचायत घर 2. मुरम्मत प्राथमिक पाठशाला कलगांव । 3. निर्माण रास्ता महिला मण्डल कुपडी, कलगांव मुरम्मत हेतु ।	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।
4.	प्रस्ताव संख्या 6 से 8 दिनांक 24-3-2001.	1. मु0 15000/- रु0 2. मु0 10,000/- रु0 3. मु0 10,000/- रु0	1. निर्माण रास्ता हेतु 2. वरिस्ठ माध्यमिक पाठशाला मेलठी के निर्माण हेतु । 3. मुरम्मत खच्चर रास्ता की अदायगी ।	कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी लेखबद्ध कर राशि का दुरुपयोग किया ।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त उनके द्वारा बर्ती गई वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य-कलाप के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 5-10-2004 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर-भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया;

अतः यह कि उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण अनुसार उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि उन द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है तथा विकास कार्यों के मु0 3,06,151/- रु0 की ग्राम पंचायत निधि का दुरुपयोग करने के दोषी पाये गये हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाना प्रस्तावित है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्री गोपाल कौशल, प्रधान ग्राम पंचायत कटलाह, विकास खण्ड रोहड़ू, जिला शिमला को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

सचिव,
पंचायती राज ।

ORDER

Shimla-9, *the* 15 *December*, 2004

No. PCH-HA (5)/96-17013-19.—Whereas, Smt. Urmila, Pradhan, Gram Panchayat Bainsh, Development Block Basantpur, District Shimla was placed under suspension by the Deputy Commissioner, Shimla on 6-1-2004 for having been found negligent in completion execution of developmental schemes and for misappropriation of Govt. funds while functioning as Pradhan;

And whereas, the Additional District Magistrate (L&O), Shimla was appointed as the Enquiry Officer u/s 146 of H.P. Panchayati Raj Act, 1994, who has submitted his Enquiry Report through the Deputy Commissioner, Shimla on 18-8-2004. According to the Enquiry Report, the Enquiry Officer has concluded that though the allegations concerning mis-appropriation and irregularities in utilisation of Government funds has not been proved against her, but she has been found negligent in completion/execution of developmental works;

And whereas, the findings of the Enquiry Officer were considered by the Govt. whereupon it was decided to warn her to be vigilant in future and to revoke her suspension order.

Therefore, for the reasons recorded heretofore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers vested in him under section 145 (6) of the Himachal Pradesh, Panchayati Raj Act 1994, is pleased to revoke the suspension order dated 6-1-2004 so passed by Deputy Commissioner, Shimla against Smt. Urmila, Pradhan, Gram Panchayat Bainsh, Development Block Basantpur, District Shimla and further warn her to be vigilant in future in discharge of her duties relating to execution and completion of developmental schemes.

कारण बताओ नोटिस

शिमला-171009, 15 दिसम्बर, 2004

संख्या : पीसीएच-एच ए (5) 104/99-17027.—यह कि उपायुक्त, सिरमौर द्वारा आपको प्रधान, ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के पद से विकास कार्यों को सरकारी धनराशि के दुरुपयोग एवं छलहरण में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पी सी एन-एस एम आर (विविध) (5) 85/99-4-1240-50, दिनांक 19-6-2002 द्वारा निलम्बित किया गया था;

यह कि निलम्बन अवधि 6 माह से अधिक होने पर हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (3) के उपरान्त हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 20 द्वारा अन्त: स्थापित खण्ड (क) के अन्तर्गत उपायुक्त सिरमौर द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या : पी सी एन-एस एम आर (विविध) (5) 85/99-673-79, दिनांक 17-1-2003 को उपरोक्त निलम्बन आदेश को निरस्त करते हुए आपको प्रधान पद के समस्त कार्य करने के लिए सक्षम किया;

यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत उप-मण्डल अधिकारी, पौन्टा, जिला सिरमौर को निदेशालय के आदेश संख्या : पी सी एच-एच ए (5) 104/99-31303-309, दिनांक 29-11-2002 को सौंपी गई थी;

यह की जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार आपके विरुद्ध सभी आरोप सही व सिद्ध पायें गये;

यह कि आप द्वारा बरती गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य कलाप के फलस्वरूप आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत आपको निष्कासित करने की कार्रवाई प्रस्तावित है;

अत: आगामी कार्रवाई करने से पूर्व आपको निर्देश दिए जाते है कि आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह

समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाइगी। उप-मण्डल अधिकारी, पौन्टा, जिला सिरमौर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-,
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

श्री चमेल सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बान्दली द्वारा किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा :

क्र0 सं0	निर्माण कार्यों का नाम अथवा प्रयोजन	मद	स्वीकृत राशि	खर्च दर्शाई गई या प्रधान को अग्रिम राशि	मूल्यांकन राशि	बकाया अधिक निकाली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	निर्माण पक्की गली हरिजन बस्ती ढाका।	जे0 जी0 एस0 वाई0	28,500/-	28,500/-	—	28,500/-
2.	निर्माण पक्का रास्ता प्रा0 पा0 से निचली बान्दली।	11वां वित्त आयोग	16,000/-	16,000/-	—	16,000/-
3.	मुरम्मत सिंचाई टैंक पण्डोग निर्माण।	जे0 जी0 एस0 वाई0	7,000/-	7,000/-	2,452/-	4,548/-
4.	निर्माण सिंचाई कुहल पडोग नाला से बडियार।	-यथा-	20,000/-	20,000/-	10,913/-	9,087/-
5.	निर्माण साईड ड्रेन (गंदी नाली) ग्राम कुफर	10वां वित्त आयोग	10,000/-	10,000/-	4,266/-	5,734/-
6.	निर्माण पशु खुरली ग्राम भगयारी।	11वां वित्त आयोग	3,000/-	3,000/-	2,062/-	938/-
7.	निर्माण खच्चर रास्ता काण्डोधार से थथास।	10वां वित्त आयोग	15,000/-	15,000/-	2,965/-	12,035/-
8.	निर्माण सांझा आंगन थथास।	जे0 जी0 एस0 वाई0	12,000/-	12,000/-	2,743/-	9,257/-
		योग ..	1,11,500/-	1,11,500/-	25,401/-	86,099/-

अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रधान द्वारा मु0 1,11,500/- रु0 अग्रिम के रूप में प्राप्त किए अथवा व्यय दर्शाये गये है जबकि निर्माण कार्यों का मूल्यांकन मु0 25,401/- रु0 किया गया है। इस प्रकार श्री चमेल सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बन्दली द्वारा मु0 86,099/- रु0 की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग तथा गबन किया गया है।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित